

अनुदान संख्या 70 – पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 70 - MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	871,37,00	498,26,68	-373,10,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			372,68,59

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes			
मू.	O.	9970.00	3871.22	3871.23
पु.	R.	-6098.78		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	8490.00
पु.	R.	-8490.00

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"	
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments	
मू.	O.	65540.00
पु.	R.	-22607.99

42932.01 42932.00 -0.01

(I) ₹8490.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – पंचायती राज – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹8490.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj - Schemes for benefit of NEA" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2515" – "पंचायती राज" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2515" - "Panchayati Raj" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्य अनुसंधान और प्रचार" – ₹1183.82 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, मीडिया और प्रचार कार्यकलापों एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(A) "Action Research and Publicity" - saving of ₹1183.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Research Institutions, media and publicity activities and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "राष्ट्रीय ग्राम स्वर्ण अभियान" – ₹4908.98 लाख की बचत (₹8150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, आईटी कार्यकलापों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - saving of ₹4908.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8150.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments/Implementing agencies, requirement of less funds towards IT activities and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “केंद्रीय सहायता/शेयर – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” – ₹15021.07 लाख की बचत (₹44148.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” – ₹6401.00 लाख की बचत (₹14091.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” – ₹1185.93 लाख की बचत (₹7301.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संसोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹451.55 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan” - saving of ₹15021.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44148.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan” - saving of ₹6401.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14091.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan” - saving of ₹1185.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7301.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under one head saving of ₹451.55 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.